तहसीलदार, रिया बड़ी
(दौसा - राजस्थान)

19/12/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर कानूनी मोहनलाल पुत्र उदमीराम एवं भिसाराम द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया से स्पष्ट है कि पत्रावली इलका रिया बड़ी से भौजा रिया बड़ी के ~~के खसरा~~ के ख० नं० 1087 रकबा 0.10 हैक्टेयर किस्म भूमि बा० 2 पर मोहनलाल व भिसाराम पुत्र पुराना जाति माली निवासी - रिया बड़ी के विरुद्ध सम्वत 2014 में चकरा का ढाणा बाड़ बगैरह नाजायज व कब्जा कर दखीलकार करने के सम्बन्ध में डीजी रिपोर्ट पेश की है। जिस पर इस न्यायालय ने राजस्थान - भूमि राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैरकानूनी के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया गैर कानूनी मोहनलाल उदमीराम एवं भिसाराम अन्तरा।

मोहनलाल

इसी किस्मे गैर सामलात का ताजमीन
भूमि का 02 राजापत्र कब्जा के के कारण
अतिक्रमी घोषित किया गया था कि के गये राजस्व
भूमि पर कि अतिक्रमण को मौखिक रूप से
बेदखल करने एवं आरती के लगान का पचास
गुणा दण्डनीय राशी 25/- (पच्चीस रुपये) जुर्माना
किये जाते हैं। परसोई हल्का रियां बड़ी को मौखिक
कस्तगी एवं आवश्यक गुमाश्ता राशी की वसूली
एवं लिखा पाना अवावली जुर्माना भोग कामगी
हेतु श्री० आर० बुद्धीराम पिता बड़ी को मेरी
नाथर पटवारी के सख्त शुमार है पर शामिल
रफ्तर है निर्णय आज दि० 19-12-2017 को
सुने-सुनाकर के सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)